157

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 69–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–11–2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्र0क्र0 251/2005–06 अपील

रामदयाल पुत्र बलबंत आदिवासी
ग्राम टर्राकला तहसील विजयपुर
जिला श्योपुर कलॉ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्यामसुन्दर पुत्र भगवंत रावत
ग्राम टर्राकलॉ तहसील विजयपुर
जिला श्योपुर कलॉ मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सुनील भारद्वाज)

आ दे श

(आज दिनांक 16–1–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 251/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23–11–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम टरकिला ने अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम टरकिला स्थित भूमि सर्वे कमांक 277/1 रकबा 3 वीघा 16 विसवा 1993-94 में रामदयाल पुत्र बलबंत आदिवासी के नाम शासकीय पट्टाधारी के रूप में दर्ज थी किन्तु इसी वर्ष खसरे के खाना नंबर 12 में श्यामसुन्दर पुत्र भगवंत रावत का अतिक्रमण दर्ज है एंव खाना नंबर 3 में बिना प्रकरण कमांक के घेर दिया गया है। वर्ष 1996-97 के खसरे में प्रकरण कमांक 84/1994-95 अ-19 से भूमिस्वामी भी श्यामसुन्दर पुत्र भगवंत रावत अंकित है एंव मौके पर काविज है। इस रिपोर्ट पर अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने प्रकरण कमांक 10/99-2000 अ-23 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 29-9-03 पारित करके श्यामसुन्दर रावत को प्रकरण कमांक 84/94-95 अ-19 में दिया गया भूमिस्वामी स्वत्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के अंतर्गत निरस्त कर दिया तथा रामदयाल पुत्र बलबन्त आदिवासी को पुनः पट्टाग्रहीता घोषित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 251/2005-05 प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 23-11-2006 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-9-03 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के

अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति यह है कि पटवारी रिपोर्ट पर से अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने प्रकरण कमांक 10/99-2000 अ 23 दर्ज करके आदेश दिनॉक 29-9-03 पारित करते हुये श्यामसुन्दर रावत को प्रकरण कमांक 84/94-95 अ-19 में दिया गया भूमिस्वामी स्वत्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख के अंतर्गत निरस्त कर दिया तथा रामदयाल पुत्र बलबन्त आदिवासी को पुनः पटटाग्रहीता घोषित किया है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त , चंबल संभाग व्दारा आदेश दिनांक 23-11-2006 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को जिन आधारों पर निरस्त किया है अपर आयुक्त के आदेश के पृष्ठ-4 का विवरण इस प्रकार है -

'' मात्र पटवारी मौजा व्दारा रिपोर्ट पेश करने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर व्दारा अपीलार्थी के हक में किया गया व्यवस्थापन आदेश निरस्त कर दिया गया जो न तो विधि की मंशा के अनुसार है और न ही नियमों तथा न्याय की मंशा के अनुसार । अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर व्दारा न तो अपीलार्थी को कोई सूचना पत्र जारी किया और न ही उसे सुनवाई करने का कोई अवसर ही दिया। यह प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना सुने पारित आदेश शून्यवत् है । ''

और अपर आयुक्त व्दारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उक्त आधार पर निरस्त कर दिया। विचार योग्य है कि यदि अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई का एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया था, अपर आयुक्त का न्यायदान की दृष्टि से

दायित्व था कि वह उभय पक्ष की सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित करते, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुये पूर्ण जॉच के बिना तथा मूल अभिलेख देखे बिना अनावेदक की अपील स्वीकार की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 251/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-2006 तथा अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर व्दारा अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 10/99-2000 अ 23 में पारित एकपक्षीय आदेश दिनॉक 29-9-03 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिकरूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 251/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-11-2006 तथा अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 10/99-2000 अ 23 में पारित आदेश दिनॉक 29-9-03 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये तथा मूल दस्तावेजों (प्रकरणों) की जॉच कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर